नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 382.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**,** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात् :**--**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**,** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सवार हरकारा	1* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **40** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**आवश्यक:** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन, (ii) मोटरसाईकिल के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो और मोटरसाईकिल के चालन का दो वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मोटर साईकिल की यंत्र क्रिया का ज्ञान रखता हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता : हां।	सीधी भर्ती किए जाने वाले के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
प्रोन्नति: निम्नलिखित पाठ्यक्रम के आधार पर चालन परीक्षण पास करने के अध्ययधीन रहते हुए, ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृन्द, समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो: (i) अंग्रेजी अक्षरों और अंको को पढ़ने में समर्थ हो । (ii) मोटर साईकिल चालन का आधारिक ज्ञान हो। (iii) मोटर साईकिल के रखरखाव और यंत्रक्रिया का आधारिक ज्ञान हो । (iv) मोटर साईकिल की लाग बुक या इतिवृत्त के रखरखाव का ज्ञान रखता हो। (v) यातायात नियमों का ज्ञान रखता हो।

प्रशिक्षण: राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से सड़क पर सुरक्षा, मोटर यान (स्तर-1) के प्रचालन और रखरखाव का दो सप्ताह का प्रवेश स्तर प्रशिक्षण।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. कार्यकारी इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--** 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. कार्यकारी इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/13/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd November, 2017

G.S.R. 382.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Despatch Rider, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Despatch Rider, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of said post, its classification, and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider	1 * (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tipura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation from a recognised Board. (ii) Possessing a valid driving licence of motor cycle and having two years' experience of driving motor cycle. (iii) Knowledge of the mechanism of motor cycle.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)
Age : No Educational Qualification : Yes	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which direct recruitment.	**Promotion:** From Multi Tasking Staff, Group 'C' employees having three years regular service in the Central Ground Water Board subject to passing driving test based on the following syllabus:

	(i) ability to read English numerals and figures; (ii) basic knowledge of driving the motor cycle. (iii) basic knowledge of maintenance and mechanism of motor cycle.. (iv) possessing knowledge of maintenance of log book or history sheet of motor cycle. (iv) possessing knowledge of traffic rules. **Training:** Two weeks, induction level; safety on road, Operation and maintenance of motor vehicles (Level-I) from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable.

[F. No. 23/13/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 383.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (तकनीकी - समूह 'ग') भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (तकनीकी-समूह 'ग') भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।